BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 434 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Akshay Tiwari …. Applicant

Versus

Director Defence Officials Welfare Organization & Ors.
…. Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Respondent no. 5, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-3
2.	**ANNEXURE-R5/1** A detail inspection report	4
3.	**ANNEXURE-R5/2** A true copy of letter dated 20.11.2025 with reply	5
4.	**ANNEXURE-R5/3** A true copy of letters	6-10
5.	**ANNEXURE-R5/4** A detail inspection report	11-12

THROUGH

DATE: 18.04.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

NOTARIAL NOTARIAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 434 OF 2025

IN THE MATTER OF:
Akshay Tiwari

.... Applicant

Versus

Director Defence Officials Welfare Organization & Ors.

.... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-5, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Pankaj Yadav aged about 45 years, S/o Shri Lalmani Yadav presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mathura (hereinafter referred to as UPPCB), I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That by means of this Original Application (OA), the applicant has questioned the housing project named "Mulberry Cabana" under progress in khasra no. 139, Mauza Arun Khadar, Tehsil Sadar, District Mathura, Uttar Pradesh.

3. That the present matter was taken up before this Hon'ble Tribunal respectively on 01.09.2025 and 17.10.2025, upon considering the seriousness of the matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct the respondents to file their replies by issuing the notice.

4. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit and carried out the

inspection of the site in question on 15.11.2025, in the presence of the representative of the project proponent in question.

A detail inspection report alongwith its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure R5/1**.

5. That during the course of the inspection it was found that the project has been established without obtaining prior Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the UPPCB. During the inspection, the representative of the project proponent present had informed that approximately 64 flats having area about 310 Sq. Ft. each were to be constructed. In pursuance of the observations made during the inspection, the UPPCB vide its letter dated 20.11.2025 issued a notice against the project with direction to stop the construction work with an immediate effect.

A true copy of letter dated 20.11.2025 with reply is being annexed herewith and marked as **Annexure R5/2**.

6. That in continuation to the above the UPPCB on different dates has sent letters to the Executive Engineer, Irrigation Department, Mathura, the District Magistrate, Mathura, Deputy Registrar, Mant, Mathura, Member Secretary SEIAA and YEIDA to provide the information regarding the matter.

A true copy of letters is being annexed herewith and marked as **Annexure R5/3**.

7. That it is further most respectfully submitted that the UPPCB in order to verify the current ground status again carried out the inspection of the project in question on 08.04.2026.

A detail inspection report alongwith its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure R5/4**.

8. That during the course of inspection the representative present has informed that about 54 plots were under construction which were demolished by the YEIDA on 04.02.2026.

9. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

10. It is most respectfully submitted that this Answering Respondents shall abide by any order(s) or direction(s) passed by this Hon'ble Tribunal in instant original application.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Mathura on this the 17 day of April, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Pankaj Yadav
... the affidavit ... it read over and explain ... Kanhaiyalal ... by Shri ... who ... on oath attested to day 17/4/26 ... has been registered S.No. ... at my office and ... fees Rs.
Ramvir Singh
Advocate Notary
Distt. Court Mathura

Pankaj Yadav

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) ''अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में मै0 मलवरी कबाना, खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, नियर राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज 2, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा का स्थलीय निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) ''अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में मै0 मलवरी कबाना, खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, नियर राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज 2, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के साथ दिनांक–15.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रोजेक्ट प्रतिनिधि के रूप में श्री कुलदीप यादव, सेल्स मैनेजर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, नियर राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज 2, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा पर किया जा रहा है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) ''अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 में स्थल का पता Khasra No.-139, Mauza Arun Khadar, Tehsil Sadar, District Mathura अंकित है।
2. निरीक्षण के समय स्थल का जियो कॉआर्डिनेट्स लिया गया, जिसके अक्षांश–27.6009440 एवं देशान्तर–77.736623 पाया गया।
3. स्थल के चारों दिशाओं का स्थलीय विवरण निम्नवत् हैः–

पूरब	–	सटे राधारानी मन्दिर सम्पर्क मार्ग तथा लगभग 800 मी0 की दूरी पर यमुना एक्सप्रेस वे स्थित है।
पश्चिम	–	सटे खाली जमीन लगभग 2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम–दंगोली खादर की आबादी स्थित है।
उत्तर	–	सटे खाली जमीन तथा लगभग 1.2 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम–भीमगांव की आबादी स्थित है।
दक्षिण	–	सटे खाली जमीन तथा लगभग 650 मी0 की दूरी पर राधारानी मन्दिर मानसरोवर स्थित है।
दक्षिण पश्चिम	–	लगभग 2.3 कि0मी0 की दूरी पर यमुना नदी स्थित है।

4. निरीक्षण के समय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट में कन्स्ट्रक्शन सम्बन्धी कार्य मै0 मलवरी कबाना द्वारा किया जा रहा है।
5. निरीक्षण के समय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर वर्तमान में 310 वर्ग फीट क्षेत्रफल के कुल 64 फ्लैट्स का निर्माण कार्य किया जाना है। निरीक्षण के समय स्थल पर फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) एवं संचालनार्थ सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त किये ही किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

19/11/25

(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

ANNEXURE-R5/2

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1003/O-126/2025 दिनांक 20/11/2025

सेवा में

मै0 मलबरी कबाना,
खसरा सं0–139 मि, अर्रूआ खादर, नियर राधारानी मानसरोवर
मन्दिर, राधारानी कुंज 2, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/अत्यन्त आवश्यक/अति महत्वपूर्ण

विषयः– **बिना स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) प्राप्त किये ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। आप द्वारा खसरा सं0–139, नियर राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज 2, तहसील–मांट, मथुरा पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.11.2025 को किया गया। प्राप्त आख्यानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) प्राप्त किये ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कन्स्ट्रक्शन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन होना दर्शाता है। अग्रेतर अवगत कराना है कि आपके प्रोजेक्ट के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में दिनांक–17.10.2025 को आदेश पारित किये गये हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा किन परिस्थितियों में बिना राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) प्राप्त किये किसी भी दशा में स्थल पर निर्माण सम्बन्धी कार्य न किया जाये। अन्यथा की स्थिति में प्रोजेक्ट के विरूद्ध विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

प्रतिलिपि–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

General notice.E.ASO sir

 ANNEXURE-R5/3

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1067/0-1-26/2026 दिनांक/Date 21/01/26

सेवा में
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
जनपद–मथुरा।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.01.2026 नियत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1068/ 0-126/2026

दिनांक/Date 21/01/26

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद–मथुरा

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.01.2026 नियत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1069/0126/2026 दिनांक/Date 21/01/26

सेवा में
सब रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार ऑफिस, माट
जनपद–मथुरा।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.01.2026 नियत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1066/0-126/2026 दिनांक/Date 21/01/2026

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय,
स्टेट इन्वायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA),
जनपद– लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.01.2026 नियत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 65ए, बल्देवपुरी, महोली रोड़, मथुरा–281001

Office Letter Head. D

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं./Ref.No. 1070/0-126/2026 **दिनांक/Date** 21/1/26

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
(YEIDA), प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, पी–2, ओमेगा–1,
ग्रेटर नोएड, गौतमबुद्व नगर।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) ''अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0 ए0 सं0–581, 688, 689 ऑफ 2025) ''अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिसियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.01.2026 नियत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स मलवरी कबाना, खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, निकट–राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज रोड़, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी विधिक नोटिस के सम्बन्ध में अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या :–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–434/2025 (आई0ए0 सं0–581, 688, 689/2025) "अक्षय तिवारी बनाम डायरेक्टर डिफेन्स ऑफिशियल वेलफेयर एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के अनुपालन में मैसर्स मलवरी कबाना, खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, निकट–राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज रोड़, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 37917/सी–4/सी0टी0ई0–956/2026 दिनांक–11.02.2026 द्वारा जारी विधिक नोटिस के परिप्रेक्ष्य में परियोजना का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक–08.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय चौकीदार श्री रमेश पुत्र स्व0 श्री शिव प्रसाद, मोहल्ला–डिघी, पोस्ट, थाना व तहसील–हमीरपुर, जनपद–हमीरपुर, मो0नं0–7392833205 परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मिले। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा हुई मौखिक वार्तानुसार बोर्ड मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक–11.02.2026 द्वारा 04 बिन्दुओं पर चाही गयी सूचनाओं को समेकित कर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त परियोजना खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अर्रूआ खादर, निकट–राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज रोड़, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा पर स्थापित होना सूचित है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त परियोजना द्वारा स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।
2. परियोजना द्वारा आवासीय प्लॉट/भू–खण्ड के विक्रय का कार्य किया जाना सूचित है। परियोजना द्वारा मौखिक रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आवासीय कॉलोनी में कुल आवासीय प्लॉट की संख्या–64 है, जिसमें से लगभग 54 प्लॉट निर्माणाधीन भवन थे। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन भवन को ध्वस्तीकरण दिनांक–04.02.2026 को कर दिया गया है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

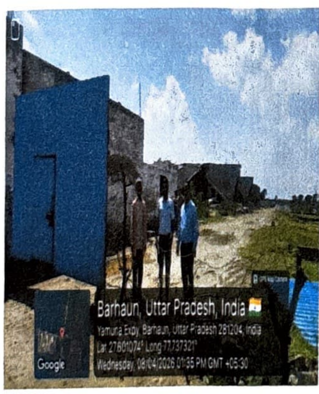

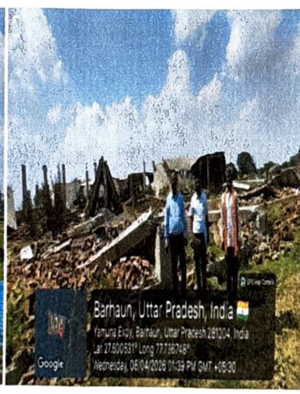

3. निर्माणाधीन परियोजना का उपयोग आवासीय प्रयोजन में नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण घरेलू जल/मल का निकास होता नहीं पाया गया।
4. निर्माणाधीन परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये विकास कार्य किये जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक–1003/ओ–126/2025 दिनांक–20.11.2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर परियोजना द्वारा पत्र दिनांक–23.01.2026 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक–27.01.2026 को प्राप्त कराया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–1048/ओ–126/2025 दिनांक–09.12.2025 द्वारा परियोजना के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है।
5. परियोजना के विरूद्ध बोर्ड से जारी विधिक नोटिस की 01 मूल प्रति निरीक्षण के समय परियोजना के प्रतिनिधि चौकीदार श्री रमेश पुत्र स्व0 श्री शिव प्रसाद, मोहल्ला–डिघी, पोस्ट, थाना व

तहसील–हमीरपुर, जनपद–हमीरपुर, मो0नं0–7392833205 को प्राप्त कराई गई, जिनका आधार कार्ड सं0– है। विधिक नोटिस की प्राप्ति, प्राधिकृत प्रतिनिधि हेतु प्रमाण पत्र एवं प्रतिनिधि के आधार कार्ड की छायाप्रति आख्या के साथ संलग्न है।

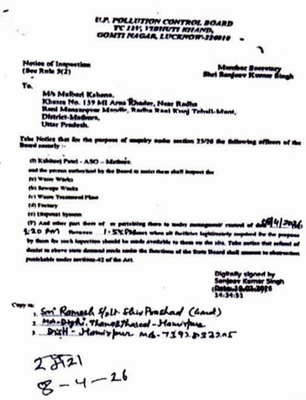

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
TC 12V, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010

Notice of Inspection
(See Rule 5(2))

Member Secretary
Shri Sanjeev Kumar Singh

To,
M/s Malbari Kabana,
Khasra No. 139 MI Arua Khadar, Near Radha Rani Mansarovar Mandir, Radha Rani Kunj Tahsil-Mant,
District-Mathura,
Uttar Pradesh.

Take Notice that for the purpose of enquiry under section 23/26 the following officers of the Board namely :-

(I) Kshitij Patel - ASO - Mathura.

[illegible]

(a) Water Works
(b) Sewage Works
(c) Waste Treatment Plant
(d) Factory
(e) Disposal System

(f) [illegible] 08/4/2026 1:20 PM [illegible] 1:55 PM [illegible] punishable under sections-42 of the Act.

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Singh
Date: [illegible]
14:34:51

Copy to:
1. Sri Ramesh S/o Lt. Shiv Prashad (Gard)
2. Moh-Diggi, Thana&Thasil-Hamirpur
3. Distt-Hamirpur Mb-7392833205

2मेश
8-4-26

6. परियोजना द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने एवं घरेलू बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज शुद्धिकरण संयत्र की स्थापना/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।

7. परियोजना के विरूद्ध जारी विधिक नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक–11.02.2026 द्वारा 04 बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत् है–

i. परियोजना को जारी विधिक नोटिस दिनांक–08.04.2026 को प्राप्त कराई गई एवं तत्सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक–08.04.2026 को किया गया है।

ii. निर्माणाधीन परियोजना को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन भवन को ध्वस्तीकरण दिनांक–04.02.2026 को कर दिया गया है।

iii. निरीक्षण के समय मैसर्स मलवरी कबाना, खसरा सं0–139 मि, ग्राम–अरूँआ खादर, निकट–राधारानी मानसरोवर मन्दिर, राधारानी कुंज रोड़, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा के विकासकर्ता मै0 अलाऊ मी फस्ट बिल्डकॉन प्रा0लि0, ए44, एन.आर.आई. सिटी ओमेगा–2, नियर परी चौक, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न।

iv. उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं0–02 पर फोटोग्राफ्स संलग्न है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(क्षितीश पटेल)
सहा0वैज्ञा0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

General notice.E.ASO sir